कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद फतेहपुर

प्रेस- नोट, जनपद फतेहपुर

दिनांक 20.08.2026

थाना थरियांव पुलिस द्वारा बकरा-बकरी चोरी करने वाले गिरोह का वांछित अभियुक्त पुलिस मुठभेड़ में घायल, कब्जे से अवैध तमंचा, कारतूस एवं नगदी बरामद।

घटना का संक्षिप्त विवरण:- जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक फतेहपुर श्रीमान अभिमन्यु मांगलिक के निर्देशन एवं श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक के पर्यवेक्षण तथा क्षेत्राधिकारी थरियांव के कुशल नेतृत्व में थाना थरियांव पुलिस टीम द्वारा विभिन्न चोरी की घटनाओं में पंजीकृत अभियोग क्रमशः मु0अ0सं0 63/2026 धारा 303(2), 317(2), 317(4), 317(5), 61(2) बीएनएस एवं मु0अ0सं0 85/2026 धारा 331(4), 305, 317(2), 317(4), 317(5), 61(2) बीएनएस से सम्बन्धित वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु लगातार सुरागरसी-पतारसी एवं चेकिंग की जा रही थी। इसी क्रम में दिनांक 19/20.08.2026 को मुखबिर की सूचना पर पुलिस टीम द्वारा पश्चिमी बाइपास थरियांव से जयसिंहपुर जाने वाले मार्ग पर चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध व्यक्ति को रोकने का प्रयास किया गया। पुलिस टीम को देखकर अभियुक्त भागने लगा तथा पीछा किए जाने पर खेत में जाकर पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग करने लगा। पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ नियंत्रित फायरिंग की गई, जिसमें अभियुक्त के बाएं पैर की पिंडली में गोली लगी। घायल अभियुक्त को प्राथमिक उपचार प्रदान कर पुलिस हिरासत में लिया गया। पूछताछ में अभियुक्त ने अपना नाम साहिल कुरैशी पुत्र शरीफ, उम्र करीब 22 वर्ष, निवासी ग्राम जमरांवा, थाना हुसैनगंज, जनपद फतेहपुर बताया। अभियुक्त के कब्जे से एक अदद अवैध तमंचा .315 बोर, दो अदद खोखा कारतूस .315 बोर, एक अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर तथा ₹1,000/- नगद बरामद हुए। अभियुक्त द्वारा पूछताछ में अपने अन्य साथियों के साथ जनपद फतेहपुर के विभिन्न थाना क्षेत्रों में बकरा-बकरी चोरी की घटनाओं में संलिप्तता बताई गई। अभियुक्त की निशानदेही एवं पूछताछ के आधार पर अन्य थाना क्षेत्रों में घटित बकरा-बकरी चोरी की घटनाओं के सम्बन्ध में भी जानकारी प्राप्त हुई है, जिसके आधार पर सम्बन्धित थानों को सूचित कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण- अभियुक्त साहिल कुरैशी ने पूछताछ में बताया कि वह अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर बकरा-बकरी चोरी की घटनाओं को अंजाम देता था। चोरी से प्राप्त रुपयों को सभी लोग आपस में बांट लेते थे तथा अपने खर्चे पूरे करने के लिए चोरी की घटनाएं करते थे। अभियुक्त ने बताया कि थाना थरियांव क्षेत्र में दिनांक 27.03.2026 को उसके द्वारा अपने साथियों के साथ मिलकर ग्राम बिलन्दा में, दिनांक 14.04.2026 को ग्राम अम्बापुर में ,दिनांक 07.07.2026 को थाना खखरेरू

के ग्राम तेंदुआ में एवं दिनांक 23.04.2026 को थाना मलवा के ग्राम बुधइयापुर में बकरा-बकरी चोरी की घटनाएं की गई थीं। इसके अतिरिक्त अभियुक्त द्वारा थाना बिंदकी, थाना किशनपुर, थाना हथगाम एवं थाना सुल्तानपुर घोष क्षेत्र में भी बकरा-बकरी चोरी की विभिन्न घटनाएं कारित करना बताया गया। अभियुक्त से प्राप्त जानकारी के आधार पर सम्बन्धित घटनाओं के सम्बन्ध में आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

बरामदगी का विवरण-

1. एक अदद अवैध तमंचा .315 बोर।
2. दो अदद खोखा कारतूस .315 बोर।
3. एक अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर।
4. 1000/- रु0 नगद।

घायल/गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

साहिल कुरैशी पुत्र शरीफ, निवासी ग्राम जमरांवा, थाना हुसैनगंज, जनपद फतेहपुर उम्र करीब 22 वर्ष।

1. मु0अ0सं0 63/2026, धारा 303(2),317(2),317(4),317(5),61(2) बीएनएस, थाना थरियांव, फतेहपुर
2. मु0अ0सं0 85/2026, धारा 331(4),305,317(2),317(4),317(5),61(2) बीएनएस, थाना थरियांव,फतेहपुर
3. मु0अ0सं0 160/2026, धारा 303(2) बीएनएस, थाना बिन्दकी, जनपद फतेहपुर।
4. मु0अ0सं0 180/2026, धारा 303(2) बीएनएस, थाना बिन्दकी, जनपद फतेहपुर।
5. मु0अ0सं0 77/2026, धारा 303(2) बीएनएस, थाना सुल्तानपुर घोष, जनपद फतेहपुर
6. मु0अ0सं0 91/2026, धारा 303(2) बीएनएस, थाना सुल्तानपुर घोष, जनपद फतेहपुर
7. मु0अ0सं0 115/2026, धारा 303(2) बीएनएस, थाना हथगांव, जनपद फतेहपुर।
8. मु0अ0सं0 154/2026, धारा 303(2) बीएनएस, थाना किशनपुर, जनपद फतेहपुर।
9. मु0अ0सं0 81/2026, धारा 303(2) बीएनएस, थाना मलवां, जनपद फतेहपुर।
10. मु0अ0सं0 142/2026, धारा 303(2) बीएनएस, थाना खखरेरु, जनपद फतेहपुर।
11. मु0अ0सं0 220/2026, धारा 109(1) बीएनएस एवं 3/25/27 आर्म्स एक्ट, थाना थरियांव, जनपद फतेहपुर।
12. मु0अ0सं0 162/2022, धारा 363/366 भादवि व 3(2)(v) एससीएसटी थाना हुसैनगंज, जनपद फतेहपुर।
13. मु0अ0सं0 189/2026 धारा 303(2) BNS थाना हुसैनगंज जनपद फतेहपुर
14. मु0अ0सं0 190/2026 धारा 303(2) BNS थाना हुसैनगंज जनपद फतेहपुर
15. मु0अ0सं0 191/2026 धारा 303(2) BNS थाना हुसैनगंज जनपद फतेहपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. श्री शमशेर बहादुर सिंह, प्रभारी निरीक्षक थाना थरियांव।
2. वरि0उ0नि0 देवेन्द्र सिंह
3. उ0नि0 अम्बरीश मिश्रा
4. उ0नि0 सतीश कुमार,
5. हे0का0 उबैदुल्ला, 6. का0 प्रवेश यादव ,7. का0 अभिषेक कुमार,8. का0 अंकित यादव